

# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर - 273009

पत्रांक : सम्बद्धता/2017/1051

दिनांक 27/04/20

सेवा में,  
प्रबन्धक/प्राचार्य  
सिंगासनी देवी महिला महाविद्यालय, नेमा, देवरिया।

विषय : स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में एक यूनिट (50 सीटों) की प्रवेश क्षमता हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन सम्बद्धता समिति ने महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागज सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त समिति ने निरीक्षण मण्डल की आख्या में इंगित कमियों को महाविद्यालय द्वारा अन्य मानकानुसार अभिलेखों को पूर्ण करने, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकानुसार निर्धारित शिक्षकों का अनुमोदन दिनांक 30.05.2017 पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा करा लिये जाने की शर्त के अधीन तथा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 22.05.2016 एवं 30.05.2016 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा योजित स्पेशल अपील सं0 180/2017 के एवं अन्य समतुल्य महाविद्यालय के सम्बन्ध में योजित अन्य स्पेशल अपील में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन सिंगासनी देवी महिला महाविद्यालय, नेमा, देवरिया स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में मानकानुसार दो व्याख्यान कक्षा कम होने के कारण मात्र एक यूनिट (50 सीट) शैक्षिक 2017-19 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर सिंगासनी देवी महिला महाविद्यालय, नेमा, देवरिया को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में एक यूनिट (50 सीटों) की प्रवेश क्षमता हेतु दिनांक 01.07.2017 से आगामी दो वर्षों हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों को पूर्ण करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करेगा। कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।

महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध करा जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय पर समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की आवश्यकता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा। संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की शर्तों से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।

संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करेगी।

संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।

संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आदेशों के वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त कर दी जायेगी।

महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2016-17 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

पत्रांक संख्या: दीदउगोवि/सम्बद्धता/2017/.....तददिनांक।

लिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।  
निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।

उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।

सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।

गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

प्रबन्धक/सचिव  
सिंगासनी देवी महिला महाविद्यालय  
नेमा, देवरिया

21/04/2017  
प्रबन्धक/सचिव

कुलसचिव

सिंगासनी देवी